राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 248/2015
संजय दुबे

–अपीलार्थी

बनाम

1. शासन सचिव, खनिज विभाग, राजस्थन सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, खान एवं भू–विज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, खनिज भवन, उदयपुर।
3. शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 20.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेन्द्र सिंह, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. इस अपील में अपीलार्थी की ओर से प्रार्थना की गई है कि अपीलार्थी की जो वर्ष 2004–05 के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्ठि है, उसे अपास्त किया जाए। अपीलार्थी को उक्त प्रतिकूल प्रविष्ठि के कारण उसे देय प्रथम एसीपी का लाभ दिनांक 01.09.2006 के स्थान पर दिनांक 01.09.2007 को दिया गया है, उसे निरस्त किया जाए एवं अपीलार्थी को प्रथम एसीपी का लाभ दिनांक 01.09.2006 से प्रदान किया जाए। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक 29.05.1993 को हुई थी एवं अपीलार्थी ने अपनी 10 वर्ष की सेवा दिनांक 28.05.2003 को पूरी कर ली थी। इस दौरान अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल प्रविष्ठि नहीं थी। उक्त प्रतिकूल प्रविष्ठि बाद के वर्ष की है। ऐसे में अपीलार्थी को प्रथम एसीपी का लाभ उसके द्वारा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण के आधार पर दिलाया जाए। अपीलाार्थी के अधिवक्ता ने यह भी प्रार्थना की है कि अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन में जो प्रतिकूल प्रविष्ठि थी, उसे उच्चाधिकारी द्वारा हटा दिया गया है। ऐसें में वर्तमान में उक्त प्रतिकूल प्रविष्ठि का प्रभाव होना नहीं माना जा सकता है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने संबंधी नियम बने हुए है, नियमों को ध्यान में रखते हुए ही अधिकारी/कर्मचारियों की वार्षिक

कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में सलाहकारी प्रविष्टियां व प्रतिकूल प्रविष्टियां अंकित करते है। अपीलार्थी की वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2004–2005 (दिनांक 1–4–2004 से दिनांक 2–7–2004) में अंकित सलाहकारी प्रविष्टियां एवं प्रतिकूल प्रविष्टियां पूर्णतः नियमानुसार दर्ज की गई। अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन वर्ष 2004–2005 में प्रतिकूल टिप्पणी होने के कारण अपीलार्थी को वित्त विभाग के आदेश दिनांक 31.12.2009 के अनुसार एसीपी का लाभ दिनांक 01.09.2006 के स्थान पर एक वर्ष पश्चात दिनांक 01.09.2007 से आदेश दिनांक 17.10.2012 द्वारा स्वीकृत किया गया, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नहीं है।

3. हमने दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।

4. अपीलार्थी के अधिवक्ता के निवेदन पर अपीलार्थी द्वारा चाहा गया प्रथम अनुतोष जो प्रतिकूल प्रविष्ठि को अपास्त किये जाने के सम्बन्ध में है, उसे वह इस स्तर पर Not Press करते हैं। जहां तक अन्य अनुतोष का प्रश्न है, तो पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन में जो प्रतिकूल प्रविष्ठि है, वह वर्ष 2004–05 की है, जबकि अपीलार्थी ने 10 वर्ष की सेवा दिनांक 28.05.2003 को पूर्ण कर ली थी। ऐसे में अपीलार्थी की जो एसीपी 10 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर देय है, उस सेवाकाल के दौरान अपीलार्थी के वार्षिक कार्य मुल्यांकन प्रतिवेदन में कोई प्रतिकूल प्रविष्ठि दर्ज नहीं थी। जो भी प्रतिकूल प्रविष्ठियां बताई गई है, वह 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की पश्चात की है। ऐसे में अपीलार्थी को प्रथम एसीपी का लाभ एक वर्ष आगे से दिया जाना हम उचित नहीं पाते हैं। परिणामस्वरूप यह अपील स्वीकार की जाती है। अपीलार्थी को प्रथम एसीपी का लाभ जो दिनांक 01.09.2006 के स्थान पर दिनांक 01.09.2007 से दिया गया है, उसे निरस्त किया जाता है एवं प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी को एसीपी का लाभ दिनांक 01.09.2006 से प्रदान किया जाए। यह भी आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी को समस्त पारिणामिक लाभ भी प्रदान किये जाये एवं एरियर की राशि का भुगतान मय 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर के साथ किया जाए।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)